



उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर, शान्तिपुरम् (सेक्टर-एफ), फाफामऊ

प्रयागराज-211021

दूरभाष सं. : 0532-2447035

Website :- www.uprtou.ac.in

01 जुलाई 2021 से प्रभावी

अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के लिए मानक / मापदण्ड

(Except B.Ed. and B.Ed.SE Programs)

- विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र/शिक्षार्थी सहायता केन्द्र किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यलाय में ही स्थापित किये जायेंगे। अतः आवेदक संस्था अपने आवेदन-पत्र में संस्था के प्रकार एवं सम्बद्धतादायी विश्वविद्यालय का स्पष्ट उल्लेख करना सुनिश्चित करेंगे।
- आवेदन-पत्र पर विचार करते समय अपेक्षित कार्यक्रमों के समुचित संचालन हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाएं यथा भवन, कक्षा-कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, विषयवार अर्ह परामर्शदाताओं/शिक्षकों की सुलभ उपलब्धता ऑनलाइन कनेक्टिविटी तथा आई.सी.टी. सुविधा एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। साथ ही संस्था प्रथम वर्ष में न्यूनतम 15 शिक्षार्थी नामांकित करने के लिए वचनबद्ध होंगी।
- B.Ed. एवं B.Ed. (Special Education) कार्यक्रमों हेतु मानकों का निर्धारण NCTE/RCI के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।
- मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षार्थियों को सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्था के पुस्तकालय, प्रयोगशाला व अन्य सुविधाओं के प्रयोग करने की अनुमति होगी जिसके लिए शिक्षार्थियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थान/विशेष श्रेणी के संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रतिवर्ष 01 जनवरी से 28/29 फरवरी तक एवं 01 जुलाई से 31 अगस्त तक ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगे। उक्त अवधि के अतिरिक्त नवीन अध्ययन केन्द्र स्थापित करने सम्बन्धी आवेदनों का विश्वविद्यालय द्वारा संज्ञान नहीं किया जायेगा। इच्छुक संस्थाओं को अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.uprtou.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन करने के एक सप्ताह के अन्दर समस्त वांछित संलग्नकों सहित विश्वविद्यालय को पंजीकृत डाक से अथवा प्रत्यक्ष रूप से निम्न पते पर प्रेषित करना होगा :—

पता	प्रभारी, अध्ययन केन्द्र प्रकोष्ठ, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, सरस्वती परिसर, शान्तिपुरम् (सेक्टर-फ), फाफामऊ, प्रयागराज-211021
-----	--

- अध्ययन केन्द्र स्थापित करने का आवेदन करने वाली संस्थाओं को निम्न विवरणानुसार आवेदन शुल्क ऑन लाइन जमा करना होगा, जो किसी भी दशा में वापस नहीं होगा :—
 - राजकीय अथवा अनुदानित उच्च शिक्षा संस्थाएं, राज्य विश्वविद्यालय नि: शुल्क
 - उपरोक्त बिन्दु (i) में वार्णित उच्च शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर अन्य सभी रु. 5,000.00
 - उपरोक्त बिन्दु (ii) के अन्तर्गत किसी संस्था के स्थलीय निरीक्षण की आवश्यकता पर निरीक्षण शुल्क रु. 15,000/- सम्बन्धित संस्था द्वारा विश्वविद्यालय में अग्रिम जमा करना होगा।

7. क्रमांक 5 के (ii) पर अंकित शिक्षा संस्थाओं से रु. 25,000/- की वापसी योग्य (Refundable) जमानत राशि अध्ययन केन्द्र के अनुमोदन होने के बाद जमा कराई जाये। विश्वविद्यालय को देय आवेदन शुल्क ऑन लाइन तथा अन्य समस्त धनराशियाँ “वित्त अधिकारी, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज” के नाम से प्रयागराज में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा की जाय।
8. विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु आवेदक महाविद्यालय/संस्था में मूलभूत सुविधाओं में न्यूनतम 500 वर्ग फिट का Covered Area वाला कार्यालय, कक्षा—कक्ष, पुस्तकालय व प्रयोगशाला, आई.सी.टी.सी. सुविधा सहित ऑनलाइन कनेक्टिविटी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। उक्त के साथ—साथ यू.जी.सी. (ओ.डी.एल.) के मानकानुसार निम्नलिखित का होना अनिवार्य है :
 - (i) सैद्धान्तिक पाठ्यक्रमों हेतु अर्ह परामर्शदाताओं एवं शिक्षार्थियों की संख्या का अनुपात 1:100 होगा।
 - (ii) प्रयोगिक पाठ्यक्रमों हेतु हर दो क्रेडिट पर यह अनुपात 2 क्रेडिट : 1 या अधिक होगा।
 - (iii) प्रयोगशाला आधारित कार्यक्रम की अनुमन्यता हेतु शिक्षण संस्था में इस प्रकार के कार्यक्रम चलने का अनुभव 3 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए।

नोट: अर्ह परामर्शदाता का तात्पर्य यू.जी.सी./सम्बन्धित नियामक संस्थाओं द्वारा शिक्षकों हेतु निर्धारित योग्यता से है।

9. विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्र अतिरिक्त कार्यक्रमों हेतु आनलाइन आवेदन करेंगे। अतिरिक्त कार्यक्रमों के लिए आवेदन प्रोसेसिंग शुल्क प्रति आवेदन रु. 3,000/- (राजकीय अथवा अनुदानित उच्च शिक्षा संस्थाओं को छोड़कर) आनलाइन जमा करना होगा। उक्त आवेदन की हार्ड कापी के साथ मूल विश्वविद्यालय से प्राप्त मान्यता प्रपत्र एवं अध्यापक सूची अध्ययन केन्द्र प्रकोष्ठ को भेजनी होगी।
10. पूर्व में स्थापित अध्ययन केन्द्रों या नये अध्ययन केन्द्रों को निम्नानुसार शर्त पूरा होने पर विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन की अनुमति दी जा सकती है :—

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	शर्त जो पूर्ण होनी चाहिए
परास्नातक कार्यक्रम		
1.	(i) Master of Art (MA). (Hindi, English, Sanskrit, Urdu, History, Geography, Sociology, Political Science, Education, Economics, Philosophy, Statistics, Home Science, Yoga).	सम्बन्धित विषय/विषयों में शासन द्वारा स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा सम्बन्धित विषय/विषयों में शासन द्वारा मान्यता प्राप्त न्यूनतम 3 वर्ष तक स्नातक कार्यक्रम चलाने का अनुभव।
	(ii) Master of Science (M.Sc.). (Statistics, Biochemistry, Food & Nutrition).	
	(iii) Master of Commerce. (M.Com).	
	(iv) Master of Social Work (MSW).	

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	शर्तें जो पूर्ण होनी चाहिए
2.	Master of Library and Information Science (MLIS).	<p>पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर स्तर की शासन द्वारा मान्यता।</p> <p>अथवा</p> <p>न्यूनतम 3 वर्ष तक BLIS या समकक्ष कार्यक्रम चलाने का अनुभव।</p> <p>एवं</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) न्यूनतम 200 Titles की पुस्तकों व 10 जर्नल वाला पुस्तकालय। (ii) ब्राड बैण्ड/इन्टरनेट सुविधा (iii) MLIS उपाधित धारक न्यूनतम तीन अर्ह Guest Faculty. (iv) प्रायोगिक कार्यों के लिए डी.डी.सी. 19वाँ संस्करण, सियर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स एवं सी.सी. 6वाँ संशोधित संस्करण की न्यूनतम पाँच—पाँच प्रतियां अवश्य ही उपलब्ध होनी चाहिए।
3.	Master of Journalism & Mass Communication (MJMC).	<p>शासन द्वारा मान्यता प्राप्त जनसंचार अथवा किसी सम्बन्धित विषय (हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू राजनीति शास्त्र, लोक प्रशासन, सूचना विज्ञान आदि) में स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता।</p> <p>अथवा</p> <p>न्यूनतम 3 वर्ष तक BJ या समकक्ष कार्यक्रम चलाने का अनुभव</p>
4.	Master of Business Administration (MBA).	<p>विज्यय या प्रबन्धन में शासन या AICTE से स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता।</p> <p>अथवा</p> <p>सम्बन्धित विषय/विषयों में शासन या AICTE द्वारा मान्यता तथा न्यूनतम 3 वर्ष तक विज्यय या प्रबन्धन के स्नातक कार्यक्रम चलाने का अनुभव।</p>
5.	Master of Computer Applications (MCA).	<p>कम्प्यूटर विज्ञान में शासन या AICTE से स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता।</p> <p>अथवा</p> <p>सम्बन्धित विषय/विषयों में शासन या AICTE द्वारा मान्यता तथा न्यूनतम 3 वर्ष तक कम्प्यूटर में स्नातक कार्यक्रम चलाने का अनुभव।</p> <p>एवं</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) न्यूनतम 15 कम्प्यूटर वाली सुसज्जित प्रयोगशाला। (ii) न्यूनतम 100 Titles की पुस्तकों वाला पुस्तकालय। (iii) ब्राड बैण्ड/इन्टरनेट सुविधा। (iv) न्यूनतम 03 अर्ह Guest Faculty.

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	शर्तें जो पूर्ण होनी चाहिए
स्नातक कार्यक्रम		
6.	<p>(i) Bachelor of Art (BA). (Hindi, English, Sanskrit, Urdu, History, Geography, Sociology, Political Science, Public Administration, Education, Economics, Philosophy, Mathematics, Fashion Designing, Textile Designing , Yoga).</p> <p>(ii) Bachelor of Commerce (B.Com).</p> <p>(iii) Bachelor of Science (B.Sc.). (Physics, Chemistry, Mathematics, Zoology, Botany, Statistics, Biochemistry, Computer Science).</p> <p>(v) Bachelor of Science (B.Sc.). (Human Nutrition).</p>	सम्बन्धित विषय/विषयों में शासन द्वारा स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता।
7.	BA(TOURISM).	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त समस्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय एवं उच्च शिक्षा संस्थान।
8.	Bachelor of Library and Information Science (BLIS).	<p>पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता।</p> <p>अथवा</p> <p>शासन द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रम के संचालन का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव।</p> <p>एवं</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) न्यूनतम 200 Titles की पुस्तकों व 10 जर्नल वाला पुस्तकालय। (ii) ब्राड बैंड /इन्टरनेट सुविधा। (iii) प्रायोगिक कार्यों के लिए डी.डी.सी. 19वाँ संस्करण, सियर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स एवं सी.सी. 6वाँ संशोधित संस्करण की न्यूनतम पॉच-पॉच प्रतियां अवश्य ही उपलब्ध होनी चाहिए।
9.	Bachelor of Business Administration (BBA).	वणिज्य अथवा प्रबन्धन में शासन या AICTE से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता।
10.	Bachelor of Computer Application (BCA).	<p>कम्प्यूटर विज्ञान में शासन या AICTE से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता।</p> <p>अथवा</p> <p>न्यूनतम 5 वर्ष से कम्प्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत व उच्च स्तरीय पंजीकृत संस्था।</p> <p>एवं</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) न्यूनतम 15 कम्प्यूटर वाली सुसज्जित प्रयोगशाला। (ii) न्यूनतम 100 Titles की पुस्तकों वाला पुस्तकालय।

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	शर्तें जो पूर्ण होनी चाहिए
		(iii) ब्राउ बैण्ड /इन्टरनेट सुविधा। (iv) न्यूनतम 03 अर्द्ध Guest Faculty. (v) 10+2 अर्हता स्तर के डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र कार्यक्रम के संचालन का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव।
11.	B.Ed.	NCTE के मानकानुसार।
12.	B.Ed.(Special Education).	RCI के मानकानुसार।

परास्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम

किसी संस्था को P.G. Diploma कार्यक्रम (क्रम संख्या 13 से 26 तक) के संचालन के लिए मान्यता देने हेतु वहाँ सम्बन्धित विषय में न्यूनतम तीन वर्ष तक स्नातक कार्यक्रम संचालन का अनुभव अथवा सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता।

13.	Post Graduate Diploma in Educational Administration (PGDEA). Post Graduate Diploma in Vocational Guidance and Career Counseling (PGDVGCC).	शिक्षाशास्त्र।
14.	Post Graduate Diploma in Distance Education (PGDDE). Post Graduate Diploma in Biostatistics and Population Studies (PGDBSPS). Post Graduate Diploma in Biostatistics and Demography (PGDBSD). Post Graduate Diploma in Goods & Service Tax (PGDGST).	सभी विषय।
15.	Post Graduate Diploma in Environment and Sustainable Development (PGDESD). Post Graduate Diploma in Remote Sensing and GIS (PGDRS).	कृषि विज्ञान या भूगोल या विज्ञान
16.	Post Graduate Diploma in Computer Application (PGDCA).	कम्प्यूटर विज्ञान।
17.	Post Graduate Diploma in Human Resource Development (PGDHRD). Post Graduate Diploma in Financial Management (PGDFM). Post Graduate Diploma in Marketing Management (PGDMM). Post Graduate Diploma in International Marketing and E-Business (PGDIMB). Post Graduate Diploma in Production Management (PGDPM).	वाणिज्य या प्रबन्धन।

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	शर्तें जो पूर्ण होनी चाहिए
18.	Post Graduate Diploma in Journalism and Mass Communication (PGDJMC). Post Graduate Diploma in Rural Journalism and Mass Communication (PGDRJMC).	पत्रकारिता या हिन्दी या अंग्रेजी या संस्कृत या उर्दू।
19.	Post Graduate Diploma in Electronic Media Management and Film Production (PGDEMM & FP).	पत्रकारिता।
20.	Post Graduate Diploma in Translation (PGDT).	हिन्दी या अंग्रेजी।
21.	Post Graduate Diploma in Functional Hindi (PGDFH). Post Graduate Diploma in Creative Writing in Hindi (PGDCWH).	हिन्दी।
22.	Post Graduate Diploma in Spiritual Tourism (PGDST).	ऐसे संस्था जहाँ स्नातक एवं परास्नातक स्तर पर दर्शनशास्त्र, इतिहास, पर्यटन, संस्कृत एवं योग विषय की मान्यता प्राप्त हो।
23.	Post Graduate Diploma in Green Social Work (PGDGSW).	राजनीतिशास्त्र या समाजशास्त्र या समाज कार्य या भूगोल।
24.	Post Graduate Diploma in Dietetics and Therapeutic Nutrition (PGDDTN). Post Graduate Diploma in Food Safety and Nutritional Quality Management (PGDFSQM).	सम्बन्धित विषय/विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कृषि विज्ञान वर्ग के विषयों में शासन द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर स्तर अथवा न्यूनतम 3 वर्ष तक स्नातक स्तर के कार्यक्रम चलाने का अनुभव। अथवा यू०पी०आर०टी०ओ०य०० एवं इग्नू अथवा किसी अन्य मुक्त विश्वविद्यालय से डी०सी०डी०एन०, डी०एच०ई०एन० अथवा अन्य समकक्ष कार्यक्रम चलाने का अनुभव।
25.	Post Graduate Diploma in Agricultural Extension (PGDAE).	मान्यता प्राप्त कृषि महाविद्यालय, कृषि उच्च अध्ययन एवं शोध संस्थान, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्र।
26.	Post Graduate Diploma in Yoga (PGDYO).	ऐसे अध्ययन केन्द्र जहाँ योग में प्रमाण-पत्र संचालन की मान्यता हो। अथवा ऐसे संस्थान जहाँ Physical Education कार्यक्रम की मान्यता हो। अथवा ऐसे संस्थान/अध्ययन केन्द्र जहाँ योग पढ़ाने वाले अर्ह प्राध्यापकों की उपलब्धता हो (संस्था से शापथ-पत्र के माध्यम से यह सूचना)।

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	शर्तें जो पूर्ण होनी चाहिए
<u>डिप्लोमा कार्यक्रम</u>		
27.	Diploma in Yoga (DYO).	<p>ऐसे अध्ययन केन्द्र जहाँ योग में प्रमाण—पत्र संचालन की मान्यता हो।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>ऐसे संस्थान जहाँ Physical Education कार्यक्रम की मान्यता हो।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>ऐसे संस्थान/अध्ययन केन्द्र जहाँ योग पढ़ाने वाले अर्ह प्राध्यापकों की उपलब्धता हो (संस्था से शपथ—पत्र के माध्यम से यह सूचना)।</p>
28.	Diploma in Dairy Technology (DDT). Diploma in Value Added Products from Fruits and Vegetables (DVAPFV). Diploma in Watershed Management (DWM). Diploma in Agriculture (DAG). Diploma in Agri Business Management (DABM).	कृषि अथवा जीव विज्ञान वर्गीय विषयों में मान्यता प्राप्त महाविद्यालय, कृषि क्षेत्र के उच्च अध्ययन एवं शोध संस्थान, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्र।
29.	Diploma in Rural Development (DRD). Diploma in Vidic Math's (DVM). Diploma in Goods & Service Tax (DGST).	मान्यता प्राप्त सभी अध्ययन केन्द्र।
30.	Diploma in Early Childhood-care and Education (DECE). Diploma Course in Dietetics and Nutrition (DCDN). Diploma in Health Education and Nutrition (DHEN).	यदि संस्था को BA या B.Sc.(Home Sc. या Food & Nutrition या Para Medical) या B.Ed. या B.Ed.(SE) या BA(Education) की मान्यता हो।
31.	Diploma in Home Arts (DHA). Diploma in Fashion Designing (DFD). Diploma in Textile Designing (DTD). Diploma in Photography (DIP).	संस्था को BA या B.Sc.(Home Sc.) या Vocational की मान्यता हो।
32.	Diploma in Urdu (DIU). Diploma in Urdu Journalism and Mass Communication (DUJMC). Diploma in Urdu News Reading and Anchoring (DUNRNA).	संस्था को BA (उर्दू) की मान्यता हो।
33.	Diploma in Jewellery Designing (DJD). Diploma in Paper Craft (DPC).	संस्था को BA (Home Sc.) या B.Sc.(Home Sc.) की मान्यता हो।
34.	Diploma in Web Technology (DWT).	संस्था को कम्प्यूटर से सम्बन्धित कार्यक्रमों की मान्यता हो।
35.	Diploma in Applied Statistics and Computer (DASC).	संस्था को स्नातक स्तर पर गणित या सांख्यिकी की मान्यता हो।

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	शर्तें जो पूर्ण होनी चाहिए
प्रमाण—पत्र कार्यक्रम		
36.	Certificate in Environment Science (CES). Certificate in Applied Criminology (CAC). Certificate in Women Empowerment and Development (CWED). Certificate Course in Yoga (CCY). Certificate in Goods & Services Tax (CGST). Certificate in Post Harvest Technology and Value Addition (CPHT&VA). Certificate in Cultivation of Medicinal and Aromatic Plants (CCMAP). Certificate in Livestock Production System (CLPS). Certificate Programme in Gardening(CPIG). Certificate in Organic Farming (COF). Certificate in Nutrition and Food (CNF). Certificate in Child Care and Nutrition (CCCN). Certificate in Rural Journalism and Mass Communication (CRJMC). Certificate in Human Rights (CHR). Certificate in Waste Water Treatment (CWWT). Certificate in Natural Resources and Sustainable Development (CNSD). Certificate in Applied Statistics and Computer (CASC). Certificate in Carpet and Textile Technology (CCTT). Certificate in Fashion Designing (CFD). Certificate in Textile Designing (CTD). Certificate in Vadic Math's (CVM).	मान्यता प्राप्त सभी अध्ययन केन्द्र।
37.	Certificate in Computer Course(CCC). Certificate Course in Web Designing and Development (CCWD). Certificate Course in Linux Administration (CCLA).	संस्था को कम्प्यूटर से सम्बन्धित कार्यक्रमों की मान्यता हो।
38.	Certificate Course in Computer Animation (CCCA).	संस्था को कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक स्तर पर कार्यक्रम की मान्यता हो एवं 1. न्यूनतम 15 कम्प्यूटर वाली सुसज्जित प्रयोगशाला। 2. कार्यक्रम से सम्बन्धित सापेक्ष विषयों की संचालन की मान्यता हो।
39.	Certificate in Forensic Science (CFS). Certificate Programme in Laboratory Techniques (CPLT). Certificate in Printing Technology (CPT).	संस्था को स्नातक में विज्ञान वर्ग के विषयों की संचालन की मान्यता हो।

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	शर्तें जो पूर्ण होनी चाहिए
जागरूकता कार्यक्रम		
40.	Awareness Programme in Child Nutrition and Food (APCNF). Awareness Programme in Child Care and Nutrition (APCCN). Awareness Programme in Yoga (APY). Awareness Programme in Panchayati Raj (APPR). Awareness Programme in Dairy, Farming (APDF). Awareness Programme on Good Governance (APGG). Awareness Programme in Kumbh Darshan (APKD). Awareness Programme Anatyoday (APAY). Awareness Programme on Ekatam manavwad (APAM). Awareness Programme on Citizenship (Amendment) Act-2019 (APCAA). Awareness Programme on jammu and Kashmir (APJK). Awareness Programme on Share Market & Mutual Fund (APSMMF). Awareness Programme on Insurance & Banking (APIBS). Awareness Programme on COVID-19 (APC).	मान्यता प्राप्त सभी अध्ययन केन्द्र।

विशेष :-

- (i) B.Ed. एवं B.Ed.(Special Education) कार्यक्रमों हेतु मानकों का निर्धारण NCTE/RCI के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (ii) MBA/MCA कार्यक्रमों के लिए उपरोक्त के अतिरिक्त UGC, DEC, एवं AICTE की Joint Committee द्वारा संस्तुत दिशा-निर्देशों के अनुरूप समय-समय पर अतिरिक्त मानकों का निर्धारण किया जायेगा।
- (iii) प्रसार कार्यक्रमों को Non-Credit कार्यक्रमों के रूप में संचालित किया जायेगा।
- (iv) अध्ययन केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।
- (v) मानकों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की अस्पष्टता अथवा विसंगति होने की स्थिति में माझे कुलपति जी का अभिमत / निर्णय अंतिम होगा।